## दिल्ली विधान सभा समाचार भाग-2

१ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी १ मंतिवार, 27 तितम्बर, 1994/5 आदिवन, 1916 १ प्राक्

संख्या. 130

सदस्यों की नज़रबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान तथा को तम्बोधित पुलित उपायुक्त, पूर्वी जिला, दिल्ली का निम्नलिखित पत्र दिनांक 26.9.1994 को प्राप्त हुआ :

" मुझे यह सूचित करने का सम्मान मिला है कि भ्री बृहम पाल, विधायक को दिनांक 25.9.94 को पूर्वाह्न 11.50 को कल्याण पुरी पुलिस द्वारा दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत तब नज़रबन्द किया गया था, जब उन्होंने न्यू अशोक नगर में डी.डी.ए. कर्मचारियों द्वारा चलाये जा रहे विध्वंस कार्य में विध्न डालने का प्रयत्न किया ।

उन्हें थाना कल्याण पुरी, दिल्ली से उसी दिन अर्थात् 25.9.1994 को अपराह्न 2.50 बजे रिहा किया गया ।"

संख्याः । ३।

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का दिनांक 27.9.94 का निम्नलिखित पत्र दिनांक 27.9.94 को प्राप्त हुआ :

"सर्वश्री राम पाल, बलवीर सिंह, राम निवास गोयल, साहिब सिंह चौहान, फोह सिंह, नरेश गौड़ तथा गालोक कुमार, विधायकों को उनके अन्य समर्थकों सहित जन्तर मन्तर पार्क से पुलिस के विधि सम्मत् आदेशों की अवज्ञा करने के लिये दिनांक 27.9.94 को अपराह्न 2.30 बजे दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत नज़रबन्द किया गया था ।

वे उसी दिन थाना मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली से अपराह्न 3.30 बजे रिहा किये गये और चिकित्ता अधिकारियों की सलाह के अनुसार चिकित्सा सहायता के लिये राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भेजे गए।"

> पी. एन. गुप्ता सचिव

## DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

## BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)
Tuesday, September 27, 1994/Ashvina 5, 1916 (Saka)

No.130

## DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following communication dated 25.9.1994 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly, from the Deputy Commissioner of Police, East District, Delhi was received on 26.9.1994:

"I have the honour to inform you that Shri Brahm Pal, M.L.A. was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 by Kalyan Puri Police when he tried to obstruct the demolition operation by D.D.A. Officials at New Ashok Nagar at 11.50 A.M. on 25.9.1994.

He was released at 2.50 P.M. from P.S. Kalyan Puri, Delhi the same day i.e. 25.9.1994."

No.131

The following communication dated 27.9.1994 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly, from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 27th September, 1994:

"S/Shri Ram Pal, Balbir Singh, Ram Niwas Goyal, Sahab Singh Chauhan, Fateh Singh, Naresh Gaur, and Alok Kumar, M.L.As alongwith their other supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 at 2.30 P.M. on 27.9.94 for not obeying the lawful orders of Police at Jantar Mantar Park.

They were released at 3.30 P.M. from P.S. Mandir Marg, New Delhi on the same day and were sent to R.M.L. Hospital for medical aid as advised by the Medical Officers."

P.N. GUPTA SECRETARY